नगर परिषद सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 04/12 से 03/14

भाग–एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–(ख) IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद सुजानपुर के लेखों का अंकेक्षण अवधि 4/12 से 3/14 का अंकेक्षण कार्य किया गया। प्रधान सचिव, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या–यू0डी0ए0 (3)–1/2012 दिनाँक 28.10.13 के अन्तर्गत नगर पंचायत सुजानपुर का दर्जा बढ़ाकर नगर परिषद कर दिया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एवं वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत्त रहेः–

प्रधान नगर परिषद

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री मनोज ठाकुर	1.4.2012 से 31.3.2014

सचिव/कार्यकारी अधिकारी (नगर पंचायत/परिषद)

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री राज कृष्ण शर्मा (अति0कार्य0)	02.04.12 से 15.03.13
2	श्री जगपाल सिंह	16.03.13 से 31.03.14

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमिततायें:–

क्रम संख्या	आपत्ति का विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में
1	दिनाँक 31.3.14 को अनुदानों की अनुप्युक्त राशि	6	17.65
2	कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का अनियमित भुगतान	7	2.31
3	दिनाँक 31.3.14 को गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि	8 (क)	20.82
4	किराये की वसूली हेतु शेष राशि	9 (क)	6.88
5	दिनाँक 31.3.2014 को तहबाजारी शुल्क वसूली योग्य शेष	10 (1)	1.56
6	पशुवध शुल्क की बकाया राशि वसूली न करने बारे	14	0.31
7	सीमेन्ट आपूर्ति हेतु अग्रिम भुगतान की गई राशि का समायोजन न करना	16 (1)	7.36
8	शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण कार्य अधूरा छोड़ने पर संविदाकार से अनुबन्ध की शर्तानुसार पैनेलटी वसूल न करने बारे	17 (2)	3.25

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जोकि अत्यन्त चिन्ताजनक विषय है। अतः परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर परिषद सुजानपुर के लेखों अवधि 04/2012 से 03/2014 का वर्तमान अंकेक्षण, श्री अशोक कुमार सूद (सहायक नियत्रंक, ले0प0) व श्री नरेन्द्र कुमार (आर्टिकल असिस्टेंट) द्वारा दिनांक 21.08.14 से 04.10.14 के दौरान सुजानपुर में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2012–13	3/2013	10/2012
2013–14	4/2013	2/2014

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप कार्यकारी अधिकारी (नगर परिषद) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवम अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, जिम्मेवारी नहीं है। अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

परिषद के अवधि 04/2012 से 03/2014 के लेखाओं के अंकेक्षण शुल्क ₹29100/–आँका गया। उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के नाम बैंक ड्राफ्ट बनाकर शिमला भेजने हेतु सहायक नियंत्रक ल0प0 की अंकेक्षण अधियाचना संख्या LAD (ऑडिट) 2014–15/A.K.S./P-114 दिनाँक 14.10.14 द्वारा अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की उपरोक्त राशि को परिषद द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या 399951 पी0एन0बी0 दिनाँक 10.12.14 के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

परिषद की अवधि 4/2012 से 3/2014 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ख–1" से "ख–4"** में दिया गया है।

	वर्ष 2012–13
प्रारम्भिक शेष	6264991
आय	16122185
कुल राशि	**22387176**
व्यय	17823447
अन्तिम शेष	**4563729**

	वर्ष 2013–14
प्रारम्भिक शेष	4563729
आय	17792218

कुल राशि	**22355947**
व्यय	19425731
अन्तिम शेष	**2930216**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

दिनाँक 31.03.14 बैंक में जमा शेष राशिः–

Sr. No.	Name of Bank A/C Number	Amount
1	Canra-Sujanpur 255810100394	52642
2	SBI Sujanpur 30721880639	201257
3	PNB Sujanpur 0100128513	527329
4	SBP Sujanpur 5185445854	2051821
	विभिन्न बैंकों का कुल योग	**2833049**
	जमाः– दिनाँक 31.03.2014 को हस्तगत राशि	**104685**
	कुल जमा	**₹2937734**

जमाः– बैंक में चैक जमा करवाया गया लेकिन बैंक द्वारा दिनाँक 31.03.2014 तक क्रेडिट नहीं दर्शाया गया।

दिनाँक	चैक संख्या	राशि
31.03.2014	869224	27600

जमाः– दिनाँक 31.03.2014 को पी0एन0बी0 बैंक खाते द्वारा डेबिट किये गये व्यय जोकि रोकड़बही में दर्ज नहीं किये गये। ₹4.00

घटाएंः– चैक जारी गए लेकिन दिनाँक 31.03.14 तक बैंकों में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

दिनाँक	चैक संख्या	बैंक का नाम	राशि
16.07.13	493221	एस0बी0आई0	1300
03.03.14	305486	एस0बी0आई0	1000
28.03.14	121122	पी0एन0बी0	2125
28.03.14	121125	पी0एन0बी0	5670

28.03.14	121126	पी0एन0बी0	964
28.03.14	121127	पी0एन0बी0	6500
28.03.14	121128	पी0एन0बी0	5925
28.03.14	121129	पी0एन0बी0	1500
28.03.14	121130	पी0एन0बी0	1365
28.03.14	121131	पी0एन0बी0	8773
		कुल राशि	**35122**
रोकड़ बही के अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को जमा शेष राशि			**2930216**

5 अनुदान राशि को शीर्ष वार व्यय सम्बन्धित विवरण तैयार न करने बारेः–

निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश के ज्ञापन संख्या यू0डी0–एच (सी) (2)–1/2008–IV 339 दिनाँक 04.04.2013 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के वित्त आयोग के लिए जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को नगर परिषद द्वारा शीर्षवार व्यय किया जाना अपेक्षित है, जिसका शीर्षवार नमूना (परफोरमा) निम्नलिखित हैः–

Sr. No.	**Name of Sector**	**Name of work**	**Estimated Cost**	**Workdone (Units)**	**Expenditure**
1	Sanitation				
2	Parking				
3	Solid waste				
4	Drainage				
5	Street Light				
6	E-Governance				
7	Sewerage				
8	Mgt. of Asset				
9	Develop/Prot.				
10	Salary & Wages (not more than 20% of total release				
	Total				

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि 2012–13 व 2013–14 में वित्त आयोग द्वारा जारी सामान्य कार्य अनुदान राशि को शीर्षवार व्यय करने से सम्बन्धित विवरण तैयार नहीं किया गया था व सम्पूर्ण अनुदान राशि का इकटठा रख–रखाव

नगर परिषद निधि खाते में किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप यह पुष्टि नहीं की जा सकी कि अनुदान राशि को शीर्षवार खर्च/ जिस उद्देश्य हेतु जारी किया गया है, उन्हीं के समरूप राशि को खर्च किया गया है या नहीं? यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। अतः नियमानुसार उपर्युक्त विवरणों को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा अविलम्ब अवधि 2012—13 व 2013—14 के वित्त आयोग की अनुदान राशि शीर्षवार खर्च करने से सम्बन्धित विवरण को तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खर्च की गई अनुदान राशि उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया गया है जिस उद्देश्य हेतु इसे प्राप्त किया गया है तथा भविष्य में नियमानुसार अनुदान राशि का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6 अनुदानः—

नगर परिषद सुजानपुर की अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2012 से 3/2014 तक प्राप्त अनुदान राशियों व व्यय की गई राशियों तथा अनुदान के अन्तशेष राशि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिनका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "ग—1 से ग—7"** में दिया गया है।

	वर्ष 2012—13
प्रारम्भिक शेष	3948132
आय	11272872
कुल राशि	**15221004**
व्यय	12787441
अन्तिम शेष	**2433563**
	वर्ष 2013—14
प्रारम्भिक शेष	2433563
आय	9467065
कुल राशि	**11900628**
व्यय	10135262
अन्तिम शेष	**1765366**

विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राशि में से दिनाँक 31.3.2014 को ₹1765366/— की राशि अनुप्युक्त पड़ी थी जबकि अनुदानो से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक

अथवा दो वर्ष के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती है। अतः अनुपयोग इस अनुदान राशियो ंको समयवध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं अनुपयोग इन राशियों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्य जिन हेतु यह राशियाँ प्राप्त हुई है। व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि को प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए व अनुपालना से इस विभगाा को अवगत करवाया जाए।

7 नगर परिषद कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान ₹230931/– का अनियमित भुगतानः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन दिनाँक 01.01.06 से अपनी अधिसूचना संख्या Fin (PR) b (7) -1/2009 दिनाँक 26.8.09 द्वारा किया गया तदानुसार उप सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या UD-B-(7)-2/2009 दिनाँक 19.12.09 के तहत प्रदेश के पालिका कर्मचारियों को भी संशोधित वेतनमान के भुगतान करने की प्रदेश सरकार की अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के वेतन में पुनः अधिसूचना संख्या Fin (PR)-B(7)-64/2010 दिनाँक 27.9.12 द्वारा संशोधन किया गया परन्तु पालिका कर्मचारियों को भी पुनः संशोधित वेतनमान के भुगतान करने के सन्दर्भ में कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है, अभिलेख की जाँच में पाया गया कि प्रदेश सरकार की अनुमति न होते हुए भी नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनाँक 1.10.12 से 31.3.14 तक अपने ही स्त्तर पर उक्त संशोधित वेतनमान का भुगतान कर दिया तथा कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के भुगतान स्वरूप कुल ₹230931/– का अनियमित भुगतान कर दिया गया जिसका पूर्ण विवरण इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "घ"** पर संलग्न है।

अतः प्रदेश सरकार की अनुमति न होते हुए भी नगर परिषद द्वारा अपने कर्मचारियों को दिनाँक 1.10.12 से संशोधित वेतनमान के भुगतान करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर किये गये भुगतान को नियमित करवाया जाये अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए।

(ख) श्री हर्षित कुमार (लिपिक) का वेतन गलत निर्धारित करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि श्री हर्षित कुमार लिपिक को दिनाँक 01.09.06 को 8 वर्ष सेवा काल पूर्ण करने पर Assured Carrear Scheme के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि

प्रदान करते हुये 3120–5160 के वेतनमान से तालिका के अगले वेतनमान 3120–6200 में प्रतिस्थापित कर दिया गया। परन्तु दिनाँक 1.1.06 से कर्मचारियों को प्रदान किए गये संशोधित वेतनमान में श्री हर्षित कुमार को दिनाँक 1.9.06 को पे–बैन्ड 5910–20200+1900 ग्रेड पे से अगले पे बैन्ड 5910–20200+1950 ग्रेड पे में प्रस्थापित करने की जगह 5910–20200 पे बैन्ड+2400 ग्रेड पे में प्रस्थापित कर कर दिया गया इस प्रकार गलत वेतन निर्धारण के कारण श्री हर्षित कुमार को 1.9.06 प्रति माह ₹450 ग्रेड पे का तथा उस पर देय भत्तों का अधिक भुगतान किया जा रहा है इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक दिए गये भुगतान की गणना अपने स्तर पर करने के पश्चात वसूली कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

8 **(क) गृहकर ₹2082107/– की वसूली न करने बारेः–**

संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ–1"** पर संलग्न है के अनुसार दिनाँक 31.03.2014 तक गृहकर ₹2082107/– की वसूली लम्बित थी निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्याः यू0डी0 एच (ब) (15)–4/99 दिनाँक 26.06.03 द्वारा जारी निर्देशों अनुसार जो करदाता 10 दिनों में करों का भुगतान कर देता है, उसे चालू वर्ष की माँग पर 20% की दर से छूट प्रदान की जाये यदि देय गृहकर, माँग जारी करने के 10 दिन उपरान्त भुगतान करता है तो 10% की दर से अधिभार लगाया जाना अपेक्षित है। अतः गृहकर की वसूली हेतु लम्बित राशि को वसूल करने हेतु शीघ्र ही नियमानुसार आवश्यक उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा देरी से गृहकर को जमा करवाने के लिए नियमानुसार 10% की दर से अधिभार की भी वसूली करनी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) गृहकर के माँग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित रख रखाव न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/12 से 03/14 तक गृहकर के माँग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित तरीके से रख रखाव नहीं किया गया है। रजिस्टर में विस्तृत विवरण जैसे क्षेत्र व कर की दर इत्यादि का कोई विवरण नहीं दिया गया है, यह एक अत्यन्त गम्भीर चूक है। अतः नियमों के अनुसार अभिलेख का रख रखाव न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार पूर्ण विवरण सहित गृहकर के माँग व प्राप्ति

रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि गृहकर कि प्राप्ति राशि की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

9 (क) दुकानों/स्टालों/खोखों इत्यादि प्राप्त होने वाले मासिक किराया ₹688366/– वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

नगर परिषद द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर दुकानों/स्टालों/खोखो इत्यादि का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराए/पट्टे पर चढ़ाया गया है तथा इनका किराया परिषद की आय का मुख्य स्त्रोत है। संस्था द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ङ–2 व 3"** में दिया गया है के अनुसार दिनाँक 31.03.2014 को किराए के रूप में ₹688366/– वसूली हेतु लम्बित थी। इतनी बढ़ी राशि का वसूली हेतु बकाया रहना एक चिन्तनीय विषय है, अतः परामर्श दिया जाता है कि राशि की वसूली हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाए जाएँ ताकि राशि को जनकल्याण हेतु प्रयोग लाया जा सके।

(ख) दुकानों के किरायेदारों से अनुबन्ध की शर्तानुसार अधिभार की राशि वसूल न करने के फलस्वरूप परिषद को ₹9472/– की वित्तीय हानिः–

परिषद द्वारा बनाई गई नई दुकानों के किरायेदारों के साथ किये गये किराया/लीज अनुबन्ध की शर्त के क्रम संख्या–15 के अन्तर्गत किरायेदार ₹100000/–एकमुश्त राशि किराया अग्रिम सुरक्षा के रूप में नगर परिषद को भुगतान करेगा, जिसको किराया/लीज अवधि में 50% किराये से काटा/समायोजित किया जायेगा, तथा शेष 50% किराया, लीज अनुबन्ध की शर्त क्रम संख्या 19 के अन्तर्गत महीने की 10 तारीख या उससे पूर्व भुगतान किया जायेगा अन्यथा उस तिथि के उपरान्त भुगतान करने पर 2% की दर से अधिभार संचित राशि (Cumulative Amount) पर लगाया जायेगा।

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दुकान संख्या 68 से 94 तक आंबटित दुकानों के प्रतिमाह देय किराये की राशि को नियमानुसार 50% राशि को समायोजित न कर के, 100% देय किराये की राशि को अग्रिम राशि से समायोजित किया गया, जबकि अनुबन्ध की शर्त के अनुसार केवल 50% किराया अग्रिम राशि से समायोजित किया जा सकता था तथा शेष

किरायेदार को 10 तारीख से पूर्व जमा करवाना था अन्यथा देय राशि की वसूली अधिभार के साथ की जानी अपेक्षित थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा किरायेदारों को अनुचित लाभ देते हुये किरायेदारों द्वारा दुकान लेते समय जमा करवाई गई धरोहर राशि को पूर्ण रूप से किराये में समायोजित कर दिया जिस कारण नगर परिषद को ₹9472/– की हानि हुई, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित हैः–

दुकान सं0	**किरायेदार का नाम**	**किराये की राशि जो अग्रिम राशि से समायोजित की गई 100%**	**किराया जो अग्रिम राशि से समायोजित किया जाना चाहिए 50%**	**जितनी किराये की अधिक राशि समायोजित की गई 50%**	**अधिभार (जितनी अधिक राशि अग्रिम से समायोजित की गई उस पर 2%)**
68	श्री हसं राज	91700	45850	45850	917
69	श्रीमती निशा	67000	33500	33500	670
70	श्रीमती मीरा देवी	84000	42000	42000	840
71	श्रीमती मन्शादेवी	84600	42300	42300	846
72	श्री रवि कुमार	63800	31900	31900	638
73	श्री विजय कुमार	35700	17850	17850	357
75	श्री संजीव कुमार	9000	4500	4500	90
76	श्रीमती सुनीता	5000	2500	2500	50
77	श्री अमनदीप सिंह	21700	10850	10850	217
78	श्रीमती नीलम	18450	9225	9225	185
79	श्री राज कुमार	62400	31200	31200	624
81	श्री परमजीत	60000	30000	30000	600
82	श्री प्रदीप कुमार	45000	22500	22500	450
84	श्री प्रदीप कुमार	51700	25850	25850	517
85	श्री प्रेम सिंह	27450	13725	13725	275
86	श्री राकेश कुमार	48400	24200	24200	484

87	श्री अर्जुन कुमार	48400	24200	24200	484
88	श्री रूपेश कुमार	60000	30000	30000	600
89	श्री शिव कुमार	25000	12500	12500	250
90	श्री पंकज कुमार	7600	3800	3800	76
91	श्री मंजीत सिंह	24800	12400	12400	248
93	श्रीमती मोहिनी	5400	2700	2700	54
				कुल योग	**₹9472**

इस प्रकार सम्बन्धित दुकानदारों को अनुचित लाभ देते हुए अग्रिम राशि से 100**%** देय किराये की राशि को समायोजित किया गया जिसके परिणामस्वरूप नगर परिषद को देय अधिभार के रूप में ₹9472/– की वित्तीय हानि हुई, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार/किराया/लीज अनुबन्ध की शर्तों अनुसार ही देय किराये की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

10 (1) तहबाजारी शुल्क ₹155975/– की वसूल न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 31.03.14 तक ₹155975/– की तहबाजारी शुल्क रेहड़ी/स्टाल/थड़ी वालों से वसूल नहीं किया गया था, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "च–1 से 2"** में दिया गया है जबकि सम्बन्धित रेहड़ी/स्टाल/थड़ीदार वर्तमान में भी उसी स्थान पर रेहड़ी/स्टाल/थड़ी चला रहे है। यह एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता/चूक है। अतः नियमों के विपरीत तहबाजारी शुल्क प्रतिदिन वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब ₹155975/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(2) तहबाजारी शुल्क/दरों को कम करने के कारण परिषद को लाखों रूपए की वित्तीय हानिः–

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 176/2008 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया था कि तहबाजारी शुल्क ₹10/– प्रतिदिन प्रति रेहड़ी/स्टाल/थड़ी या ₹250/– प्रति माह

अग्रिम वसूल किया जायेगा। प्रस्ताव संख्या 35/2010 के अन्तर्गत पुनः यह निर्णय लिया गया कि जब भी बकायादार पुरानी दरों के मुताबिक तहबाजारी शुल्क अदा करेंगे अर्थात उनको कोई बकाया नहीं होगा, उसके बाद तहबाजारी शुल्क ₹250/– प्रतिमाह से कम करके ₹200/– प्रतिमाह प्रति रेहड़ी/स्टॉल/थड़ी वाले से वसूल किया जाये।

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि किसी भी तिथि को एक भी रेहड़ी/स्टॉल/थड़ीदार की बकाया राशि शुन्य नहीं हुई, सभी द्वारा अपनी तहबाजारी शुल्क, बकाया राशि के रूप में माह व्यतीत होने उपरान्त दिया जा रहा है लेकिन फिर भी जुलाई, 2010 से प्रत्येक रेहड़ी/स्टाल/थड़ीदार की तहबाजारी शुल्क ₹250/– प्रतिमाह से कम करके ₹200/– प्रतिमाह प्रति रेहड़ी/स्टाल/थड़ी कर दी गई जिसके सन्दर्भ में नगर परिषद, कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या 100 दिनाँक 10.09.2014 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया गया। यह एक अत्यन्त गम्भीर चूक है। इस प्रकार रेहड़ी/स्टाल/थड़ी वालों को अनुचित लाभ देते हुए नगर परिषद को लाखों रूपए की वित्तीय हानि हुई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नगर परिषद प्रशासन द्वारा आन्तरिक स्तर पर दिनाँक जुलाई, 2010 से कम किये गये किराये ₹50 प्रतिमाह (250–200) की दर से कम वसूल की गई राशि की गणना करवाकर व प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत/चूककर्ता से करके, परिषद खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये अन्यथा कम वसूल की गई सम्पूर्ण राशि की सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। उपरोक्त के अतिरिक्त परामर्श दिया जाता है कि नगर परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क ₹200/– प्रतिमाह अर्थात लगभग ₹6 प्रतिदिन अत्याधिक कम शुल्क है, क्योंकि तहबाजारी नगर परिषद की आय का एक मुख्यस्त्रोत है। अतः नगर परिषद के आय बढ़ाने हेतु इस शुल्क कि बढ़ौतरी के सन्दर्भ में विचार किया जाए ताकि परिषद के विकासात्मक गतिविधियों को और गति दी जा सके।

11 अवधि 2011–12 से 2013–14 तक बजट की 1% राशि पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि खाते में नियमानुसार जमा न करने बारेः–

संयुक्त नियन्त्रक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–बी0 (1)–1/99–III दिनाँक 25.04.2000 की धारा 16 के अन्तर्गत कुल बजट

की 1**%** राशि पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि खाते में जमा करवाई जानी अपेक्षित है। परिषद द्वारा अन्तिम बार बजट की 1**%** राशि पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि खाते में कब व कितनी जमा करवाई है, अंकेक्षण अधियाचना संख्या 103 दिनाँक 15.09.2014 द्वारा सूचना प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में परिषद, कार्यकारी अधिकारी के पत्राँक संख्या MC/SPT/2014-1429 दिनाँक 27.09.2014 के अन्तर्गत यह प्रतिउत्तर दिया गया कि अवधि 2010–11 से 2013–14 तक बजट की 1**%** राशि जमा नहीं करवाई गई। नियमानुसार राशि जमा न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा परिषद के कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अविलम्ब वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक बजट की 1**%** राशि पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि खाते में जमा करवाई जाये तथा भविष्य में नियमानुसार व नियमित रूप से इस राशि को सम्बन्धित परिषद के पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12 (क) मोबाईल टावर की संस्थापना/नवीनीकरण शुल्क ₹10000/– वसूल न करने बारेः–

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या 2311 दिनाँक 22.8.06 के **परिशिष्ट "ए"** के क्रम संख्या 2 (b) (ii) के अन्तर्गत मोबाईल व टावर की नवीनीकरण फीस ₹5000/– प्रति वर्ष टावर व संस्थापना फीस ₹10000/– प्रति टावर वसूल की जानी अपेक्षित है। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मै0 भारती एयरटेल लिमिटेड से वर्ष 2006–07 से 2010–11 तक ₹35000/– (25000+10000) मोबाईल/टावर की नवीनीकरण व संस्थापना फीस के रूप में राशि ₹35000 (25000+10000) नगर परिषद को देय थे जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त कम्पनी द्वारा जी–8 संख्या 38/60 दिनाँक 18.03.11 के तहत ₹25000/– जमा करवाए गये। इस प्रकार ₹10000/– (35000–25000) कम जमा किये गये। अतः बकाया राशि ₹10000/– की वसूली टावर कम्पनी से सुनिश्चित की जाए।

(ख) मोबाईल टावर की नवीनीकरण फीस में प्रत्येक पाँच वर्ष उपरान्त 25% की बढ़ौतरी न किया जानाः–

सचिव (आई0टी0) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या–2311 दिनाँक 22.08.2006 के अन्तर्गत मोबाईल टावर की नवीनीकरण फीस में प्रत्येक पाँच वर्ष उपरान्त 25**%** की बढ़ौतरी की जानी अपेक्षित है।

अभिलेख की जाँच पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा भारती एयरटेल लिमिटेड से वर्ष 2011–12 व 2012–13 के लिए ₹5000/– प्रतिवर्ष नवीनीकरण फीस के रूप में माँग जारी की जा रही है जबकि वर्ष 2010–11 को ही पाँच वर्ष पूर्ण हो चुके थे तथा वर्ष 2011–12 से 25**%** की बढ़ौत्तरी अर्थात ₹5000+1250=₹6250 के साथ माँग करनी अपेक्षित थी जबकि माँग में वृद्धि वर्ष 2013–14 में की गई। अतः वर्ष 2011–12 व 2012–13 में माँग नियमानुसार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व देय राशि ₹2500 (1250X2) अवधि 2011–12 से 2012–13 की माँग जारी करने उपरान्त इसकी वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) मोबाईल व टावर की नवीनीकरण फीस को देरी से परिषद में जमा करवाने बारेः–

जाँच में पाया गया तथा जैसा उक्त वर्णित पैरे से स्पष्ट है कि, विभिन्न मोबाईल कम्पनियों द्वारा मोबाईल टावर की नवीनीकरण फीस के रूप में देय राशियों को देरी से नगर परिषद को भेजा जा रहा है, जिस के सन्दर्भ में देरी से राशियों को भेजने पर कोई अधिभार (Surcharge) वसूल नहीं किया जा रहा है। अतः नगर परिषद प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि मोबाईल व टावर की नवीनीकरण शुल्क के रूप में देय राशियों को देय तिथि तक या उससे पूर्व भेजने सम्बन्धित नियम निर्धारित किये जाने सुनिश्चित किये जाएँ तथा देय तिथि उपरान्त भुगतान करने पर अधिभार लगाया जाना सुनिश्चित किया ताकि समय पर सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा देय शुल्क समयवध जमा करवाया जाये।

13 (1) खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता विभाग को भेजे गए राशनकार्डों की देय राशि ₹360/– को वसूल न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया नगर परिषद ने पत्रांक संख्या 72–जे (राशनकार्ड/नं0–12013–1531 दिनाँक 18.09.2013 के अन्तर्गत 144 नं0 राशनकार्ड दर ₹2.50 प्रति एक कि दर पर ₹360/– के हिमाचल प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता को भेजे गए थे लेकिन आज तक इस देय राशि को वसूल नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब ₹360/– की वसूली खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता से की जानी सुनिश्चित

की जाए। इसके अतिरिक्त राशन कार्डों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण के समक्ष जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के दौरान बेचे गये 1556 नं0 (1700–144) राशन कार्डों से प्राप्त राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आवश्यक अभिलेख अब तैयार करके आगामी लेखा परीक्षा में सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 पशुवध शुल्कः–

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 175/08 दिनाँक 24.10.08 के तहत मीट मार्किट में कटने वाले पशुओं पर ₹25/– प्रति नग की दर से पशु वध वसूलने का प्रावधान है मगर संस्था के पशु वधशाला रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनाँक 31.03.14 को ₹31475/– पशुवध शुल्क के रूप में वसूल करने शेष थे विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। अतः बकाया शेष राशि की वसूली हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

क्र0सं0	**नाम**	**राशि**
1	श्री शादी लाल	11125
2	श्री विनोद कुमार	12500
3	श्री विशाल कुमार	7850
	कुल योग	**₹31475**

15 (1) रैहन बसेरे के कमरों व हाल की बुकिंग से देय ₹2950/– किराए की कम वसूली करने बारेः–

नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 56/2009 दिनाँक 11.08.09 के अन्तर्गत विवाह शादियाँ की बुकिंग पर किराये के रूप में लड़के की शादी के लिए ₹3100/– व लड़की की शादी के लिए ₹2100/– दरे निर्धारित की गई थी। इसके बाद प्रस्ताव संख्या शून्य दिनाँक 01.12.2013 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्धारित दरों के अतिरिक्त बिजली बिल के ₹500/– अतिरिक्त चार्ज किये जाएँ। जिसे अप्रैल, 2013 से लागू करने का

सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अवधि 04/2012 से 03/2014 के दौरान रैहन बसेरे के कमरों व हॉल को विवाह शादियों की बुकिंग पर देय किराये ₹2950/– को कम वसूल किया गया था, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है:–

बुकिंग की तिथि	जी–8 सं0	शादी हुई (लड़का/ लड़की)	जिस तिथि को हॉल व कमरे बुक थे	जितनी राशि वसूल की	जितनी राशि वसूल की जानी थी	जितनी राशि कम वसूल की गई
8.1.13	15/30	लड़की	27, 28.7.13	2100	2600	500
28.1.13	2/31	लड़की	5.10.13	2100	2600	500
6.2.13	49/31	लड़की	5, 6.11.13	2100	2600	500
19.12.12	9/29	लड़की		2100	2600	500
3.12.13	21/115	लड़की		2150	2600	450
19.12.12	5/29	लड़का	1, 2, 3.5.13	3100	3600	500
					कुल योग	**₹2950**

उपर्युक्त वर्णित कम वसूल की गई राशि ₹2950/– की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

16 (1) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटिड, शिमला–9 को सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु ₹736070/– अग्रिम भुगतान राशि का समायोजन न करने बारे:–

(क) परिषद द्वारा सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु ₹736070/– का अग्रिम भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड शिमला को किया गया। (जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया है) परन्तु कभी भी अग्रिम भुगतान का समायोजन नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड शिमाला से, इस अवधि के दौरान मंगवाए गए सीमेन्ट बैंगों से सम्बन्धित

बिल / खाते का विवरण व राशि ₹736070 / – अग्रिम रूप में किये गए भुगतान के समायोजन खाते का विवरण मंगवाकर उसका मिलान परिषद के सम्बन्धित खाते से किया जाये।

(2) परिषद द्वारा मंगवाए गए सीमेन्ट में हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ली गई सीमेन्ट की (Basic Rate) मूल दरों व भाड़े (Carrige) की दरों में तथा ए0सी0सी0 सीमेन्ट कम्पनी द्वारा प्रस्तुत बिलों में दर्शाई गई दरों में ₹70098 / – का अन्तर पाया गया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड शिमला–9 को ₹70098 / – का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **परिशिष्ट "छ"** में दिया गया गया है। इस प्रकरण को अविलम्ब हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के समक्ष उठाया जाये तथा उपर्युक्त दरों में अन्तर का कारण स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹70098 / – की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके वापिस सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जाये तथा से अनुपालना इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

17 निर्माण कार्यों के अभिलेख के रख–रखाव नियमानुसार न करने बारेः–

निर्माण कार्य के अभिलेख की जाँच में पाया गया कि परिषद द्वारा निर्माण कार्यों के अभिलेख के रख–रखाव में अत्यन्त गम्भीर लारवाही / चूक बरती जा रही है, जिस कारण किसी प्रकार के गलत भुगतान, अधिक / अनुचित भुगतान की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है। अतः लेखों का रख–रखाव नियमानुसार न रखने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा जाँच उपरान्त व किसी प्रकार के गलत भुगतान को नकारते हुए की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए, अंकेक्षण के दौरान पाई गई चूक का विवरण निम्नलिखित है।

(1) परिषद द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लिये जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसमें केवल कार्य का नाम दिया जाता है परन्तु कहीं यह स्पष्ट नहीं किया जाता है कि कार्य को निष्पादित करने हेतु प्राकलन तैयार करने के लिये किस बैठक में प्रस्ताव किया गया, बैठक में केवल यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि सरकार की अनुदान राशि से निर्माण कार्य करवाए जाने है। अतः निम्न कार्य करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, उदाहरण के रूप में दिनाँक 19.09.11 को सम्पन्न हुई परिषद बैठक में प्रस्ताव संख्या 78 / 2011 में प्रस्ताव पारित किया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद द्वारा बैठक में बताया गया कि सरकार कि अनुदान

राशि से कार्य करवाए जाने है तथा मौका पर सदस्यों द्वारा कार्य बतायें है उनके प्राकलन तैयार किये है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा होने उपरान्त निर्णय लिया गया कि निम्न अनुसार कार्यों को टैंडर लगाकर करवाया जाएं।" परन्तु यह कहीं स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकार से कितनी अनुदान राशि प्राप्त हुई है और न ही जो कार्य करवाए जाने है उन पर कितनी राशि व्यय की जानी है, जिसकी अनुपलब्धता में यह कहीं स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कार्य के निष्पादन हेतु नगर परिषद के पास धन राशि थी भी अथवा नहीं। उदाहरण के तौर पर माह फरवरी 2014 में कुल राशि ₹2056317/– का व्यय चौथे राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से किया गया दर्शाया गया जबकि लेजर पृष्ठ 230 जहाँ अनुदान राशि व किये जा रहे व्यय का अलग से लेखा जोखा रखा गया है, के अनुसार माह फरवरी 2014 में अनुदान राशि का बकाया केवल ₹3858/– था, जिससे स्पष्ट होता है की अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय से व्यय किये गये तथा बाद में प्राप्त अनुदान राशि में से राशि समायोजन कर दिया गया अर्थात जो राशि प्राप्त नहीं हुई उसका व्यय पहले कर दिया गया। यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसका कारण स्पष्ट किया जाये तथा की गई कार्यवाही को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाये। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में कार्य आरम्भ करने से पूर्व कार्य को निष्पादित करने हेतु नियमानुसार प्राकलन तैयार किया जाए जितनी राशि व्यय की जानी है उसका विवरण देकर प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि कार्य करने हेतु नगर परिषद से स्वीकृति प्राप्त करने के साथ–2 उसकी वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो सके तथा कार्य पर प्राप्त स्वीकृति से किसी प्रकार के गलत/अधिक व्यय व भुगतान को नकारा जा सके जिस वाउचर के द्वारा भुगतान किया जाता है उस पर भी शीर्ष का पूर्ण विवरण दिया जाये।

(क) परिषद द्वारा कोई Tender Opening Register नहीं लगाया गया है जोकि ठेकेदार के माध्यम से कार्य करवाए जाने कि अवस्था में एक अत्यन्त आवश्यक अभिलेख है जिससे ठेकेदारों द्वारा कार्य हेतु दी गई दरें सत्यापित व प्रमाणित होती है तथा दरों में किसी प्रकार की पुनर्लेखन को नकारा जाता है। उदाहरण के तौर पर अवार्ड लैटर संख्या 1510 दिनाँक 17.913, वार्ड नं0 7 में धरम वीर सिंह राणा के घर से विजय कुमार के घर तक रास्ते का पुनः निर्माण कार्य के लिये तीन ठेकेदारों श्री अनुराग सेठी, श्री जापान सिंह व श्री अजय कुमार द्वारा डाले गए टैंडर में टेंडर की केवल कुल 6 मदों में निम्न प्रकार से Cutting व Over Writing थी।

ठेकेदार का नाम	**Cutting**	**Over writing**
श्री अनुराग सेठी	2	2
श्री जापान सिंह	–	1
श्री अजय कुमार	–	4

बिना tender opening register व किसी अधिकारी के सत्यापन यह cutting व over writing पहले से ही थी या बाद में की गई। अतः इस अत्यन्त आवश्यक अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा किसी प्रकार के अनुचित लाभ को नकारने हेतु इस आवश्यक अभिलेख का अविलम्ब तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) अभिलेख की जाँच में पाया गया कि टैण्डर खोलते समय अधिकांश टेंडर के साथ ठेकेदारों द्वारा धरोहर राशि (Earnest Money) जमा नहीं करवाई गई है फिर भी परिषद द्वारा उनके टेंडर खोल कर कार्य आंबटन कर दिया गया जबकि टेंडर खोलने व स्वीकृत करने की यह मुख्य शर्त थी कि टेंडर तभी स्वीकृत किये जायेंगे जब उनके साथ धरोहर राशि साथ संलग्न होगी। अतः बिना धरोहर राशि टेंडर स्वीकृत करना व कार्य आबंटित करना, कार्य आंबटन कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है तथा किसी प्रकार के उच्च दरों पर किये गये आंबटन को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह मामला परिषद के उच्च अधिकारी के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि जाँच उपरान्त किसी प्रकार के उच्च दरों पर किये गये आंबटन को नकारा जा सके तथा सुनिश्चित किया जा सके कि संविदाकारों को किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं दिया गया है।

(ग) जाँच में पाया गया कि ठेकेदारों को कार्य आंबटन से पूर्व कोई विभागीय न्यायोचितता नहीं बनाई जाती है ताकि उनको किये गये भुगतान उचित ठहराया जा सके व सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार कि उच्च दरों पर कार्य आबंटित नहीं किया गया है कार्य आंबटन से पूर्व ठेकेदार के साथ मोल–तोल कर कुछ दरें कम करवाई जाती है, परन्तु आंबटित दरों का क्या आधार है, किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि किसी प्रकार कि उच्च दरों पर कार्य आंबटित नहीं किया गया है कुछ भी स्प्ष्ट नहीं है, और यही कारण है कि नगर परिषद में एक समय एक तरह के कार्य ठेकेदारों को अलग–अलग प्रीमियम पर आंबटित कर दिये गए उदाहरण के रूप में दिनाँक 6.9.11 को अवार्ड लेटर संख्या–1790 द्वारा श्री सुरेश ठाकुर को जट्टा मुहल्ला में बावड़ी की मुरम्मत का कार्य HPSR-2009 की दरों से 8**%** उपर की दरों पर

आंबटित किया गया जबकि दिनाँक 24.10.11 को अवार्ड लेटर संख्या 2148 द्वारा श्री सुरेश ठाकुर को सैनिक विश्राम गृह के समीप बावड़ी की मुरम्मत कार्य का कार्य HPSR-2009 की दरो से 18**%** कम की दरों पर आंबटित किया गया अर्थात दूसरा कार्य पहले कार्य से 25**%** कम की दरों पर निष्पादित करवाया गया। अतः मूल अभिलेख (विभागीय न्यायोचितता) कि अनुपलब्धता में किसी प्रकार के उच्च दरों पर किये गये आंबटन को नकारा नहीं जा सकता है। अतः विभागीय न्यायोचितता बनाये न जाने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी कार्य आंबटन में कोई उच्च दरो पर आंबटन नहीं किया गया है। की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(घ) नगर परिषद द्वारा दिनाँक 10.12.12 को पत्र संख्या NPS/Tender/Award/Estimate/2011-12 के द्वारा 9 कार्यों हेतु टेण्डर आमन्त्रित किए गये। इन 9 कार्यों में से 2 कार्य बिजली के सामान की आपूर्ति व शेष निर्माण कार्यों से सम्बन्धित थे तथा उन पर प्रतिशत के आधार पर ठेकेदारों द्वारा अपनी दरें दी गई। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा टेण्डर आमन्त्रित करते समय टैण्डर फार्म के साथ कोई DNIT/ कार्य कि अनुसूची नहीं लगाई गई अर्थात कार्य के अन्तर्गत क्या–क्या मदें निष्पादित की जानी है कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया परन्तु ठेकेदारों द्वारा आश्चर्यजनक रूप से अपने रेट दे दिये गये, विभागीय न्यायोचितता न बनाना व ऊपर वर्णित तथ्यों के बिना DNIT के दरें दे देना, ऐसा प्रतीत होता है कि ठेकेदारों को कार्य परस्पर सहमति से आंबटित किये गये है, तथा बाजार प्रतियोगिता का लाभ नहीं उठाया गया है, जिस कारण उच्च दरो पर कार्य निष्पादित करवाए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है, उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि इन आंबटनों में कोई उच्च दरों पर भुगतान नहीं किया गया है किसी प्रकार की अनियमितता अथवा गलत भुगतान की अवस्था में उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये। की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(2) संविदाकार से अनुबन्ध की शर्तोनुसार अर्थदण्ड के रूप में ₹324792/– की वसूली न करने बारेः–

नगर परिषद द्वारा कार्य आंबटन पत्र संख्या NP/Tend/Award/Ext-2009-10-89 दिनाँक 21.1.2010 द्वारा सुजानपुर में शॉपिंग कम्पलैक्स के निर्माण का कार्य जिसकी अनुमानित लागत ₹1666000/– थी मै0 हिमटैक्नो ईन्जीनियर्ज को ₹1665919/– में आंबटित किया गया तथा

निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 9 माह का समय दिया गया। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मै0 हिमटैक्नो ईन्जीनियर्ज द्वारा कार्य आंबटित समय में पूर्ण न कर कुल रशि ₹1582014/– का कार्य कर अधूरा कार्य छोड़ दिया गया तथा तब नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में प्रस्ताव संख्या 30/2011 द्वारा निर्णय लिया गया कि "सचिव नगर पंचायत द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि ठेकेदार श्री सन्तोष राजा Him Techno Govt. Contracter को Shopping Complex का कार्य Award हुआ था परन्तु काफी समय से उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा था जिसके तहत नगर पंचायत द्वारा पत्र संख्या 1–B/NP/2011-406 दिनाँक 26.03.11 को नोटिस जारी किया गया था कि स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य न करने बारे स्पष्टीकरण के जिसके तहत ठेकेदार द्वारा लिखित रूप से प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अस्वस्थ रहने के कारण शेष कार्य को करने में वे असमर्थ है तथा मेरी बकाया Payment की अदायगी कर दी जाये जिस बारे प्रधान व कनिष्ठ अभियन्ता की चर्चा उपरान्त बकाया Payment की अदायगी कर दी गई थी ठेकेदार द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि भविष्य में शेष कार्य का दावा नहीं करेगा जिस पर चर्चा की गई तथा निर्णय लिया गया कि इस कार्य को पूर्ण करने में काफी समय व्यतीत हो चुका है तथा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर Labour Rate पर करवाने का निर्णय लिया गया ताकि दुकानें शीघ्र तैयार करके किराये पर दी जा सके ताकि नगर पंचायत की आय में वृद्धि हो सके जबकि नियमानुसार अनुबन्ध की धारा 1 व 2 की शर्तानुसार ठेकेदार से कार्य पूर्ण न करने के कारण संविदाकार के बिलों से काटी गई प्रतिभूति राशि किए गए कार्य की 10**%** राशि ₹158201/– को जब्त किया जाना तथा दण्ड स्वरूप कार्य आंबटन की राशि ₹1665919/– का 10**%** ₹166591/– वसूल किया जाना कुल राशि ₹324792/– वसूल किए जाने अपेक्षित थे। क्योंकि कार्य देरी से पूर्ण करने के कारण जहाँ नगर परिषद को किराए के रूप में होने वाली आय से वंचित होना पड़ा वहीं शेष कार्य भी अन्य ठेकेदारों से उच्च्य दरों पर निष्पादित करवाया गया। अतः ठेकेदार मै0 हिमटैक्नो ईन्जीनियर्ज को दिये गये अनुचित लाभ तथा नगर परिषद को हुई हानि ₹324792/– के सन्दर्भ से स्थित स्पष्ट की जाए यह प्रकरण परिषद के उच्च्य अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी उचित कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(3) वाऊचर संख्या–528 माह 2/2014

कार्य का नामः– वार्ड नं0 3 व 4 में मदन लाल की दुकान से पुरषोतम चौधरी के घर तक रास्ते का निर्माण

बिल संख्याः— प्रथम व अन्तिम बिल ₹803835/—

माप पुस्तिका संख्याः— 40, पृष्ठ 37

(क) इस कार्य में मद संख्या 1 में मिट्टी की खुदाई का कार्य (pick jumper work) कुल 383.04 घन मी0 निष्पादित किया गया, परन्तु इस कार्य में से कुछ भी पुनः प्रयोग करने वाला सामान (Service able material) जैसे पत्थर इत्यादि प्राप्त हुआ नहीं दर्शाया गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाये तथा की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाये।

(ख) कार्य की मद संख्या 7 के अन्तर्गत उपर वर्णित मिट्टी को उठा कर 3 किलोमीटर दूर फेंकने हेतु ठेकेदार को ₹320/— प्रति घन मीटर की दर पर ₹122573/— (383.04X320=₹122573) का भुगतान किया गया। ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु कोई lead chart नहीं बनाया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तव में सामान को 3 किलोमीटर की दूरी पर फैंका गया है ठेकेदार को इस मद के अन्तर्गत अनुचित लाभ देते हुए कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अतः lead chart न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाये जिसे अब बना कर सक्षम उच्च अधिकारी से सत्यापित करवाकर की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाये अन्यथा जाँच उपरान्त जहाँ मलवा फैंका गया है व दूरी की गणना कर, तदानुसार दर निर्धारित कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) इस कार्य में ठेकेदार को अतिरिक्त मद के रूप में स्टील कार्य 1.7 क्विंटल हेतु ₹7569.40 प्रति क्विंटल की दर पर भुगतान किया गया। इस दर निर्धारण का क्या आधार था/फॉर्मूला था, कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है जिसके अभाव में भुगतान के सत्यता की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी जिसे आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(4) वाऊचर संख्या 528 माह 2/2014

कार्य का नामः— वार्ड नं0 7 में धरम वीर सिंह राणा के घर से विजय कुमार के घर तक रास्ते का पुनः निर्माण।

बिल संख्याः— प्रथम बिल ₹346346/— श

माप पुस्तिका संख्याः— 40, पृष्ठ 31 से 34 तक

ठेकेदार का नामः— श्री जापान सिंह

(क) इस कार्य हेतु टैण्डर खोलने की तिथि 28.6.2013 थी तथा इस कार्य की धरोहर ₹7720/— थी जिस हेतु ठेकेदार द्वारा एफ0डी0आर0 संख्या 292483/— ₹50000/— जमा की गई दर्शाई गई जिसकी परिपक्वता तिथि दिनाँक 5.9.2012 थी। अतः स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितिथियों में एक time barred एफ0डी0आर0 को धरोहर राशि के रूप में स्वीकृत किया गया अर्थात बिना धरोहर राशि टैंडर स्वीकृत किया गया। अतः बिना धरोहर राशि टैडर स्वीकृत करना व कार्य आंबटित करना, कार्य आंबटन कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है तथा किसी प्रकार के उच्च दरो ंपर किये गये आंबटन को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह मामला परिषद के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि जाँच उपरान्त किस प्रकार के उच्च दरो ंपर किये गये आंबटन को नकारा जा सके तथा सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं दिया गया है।

(ख) इस कार्य में मिट्टी की खुदाई का काम 78.93 घन मी0 निष्पादित किया गया दर्शाया गया तथा जिस हेतु ठेकेदार को ₹180/— प्रति घन मी0 की दर पर तथा मिट्टी को उठा कर फेंकने हेतु ₹350/— प्रति घन मीटर की दर पर भुगतान किया गया जबकि पुस्तिका की गणना में यह मात्रा 71.47 घन मीटर पाई गई। अतः 7.46 घन मी0 हेतु ₹530/— प्रति घन मीटर (180+350) की दर पर किये गए अधिक भुगतान राशि ₹3954/— की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ग) उक्त वर्णित मिट्टी को उठा कर 3 किलोमीटर दूर फेंकने हेतु ठेकेदार को ₹350/— प्रति घन मीटर कि दर पर भुगतान किया गया। ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु कोई Lead Chart नहीं बनाया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तव में सामान को 3 किलोमीटर की दूरी पर फैंका गया है ठेकेदार को इस मद के अन्तर्गत अनुचित लाभ देते हुये कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अतः lead Chart न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाये जिसे अब बनाकर सक्षम उच्च अधिकारी से सत्यापित करवाकर की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाये अन्यथा जाँच उपरान्त जहाँ मलवा फैंका गया है व दूरी की गणना कर, तदानुसार दर निर्धारित कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(5) वाऊचर संख्या 538 माह 2/2014

कार्य का नामः– वार्ड नं0 1 में शीला माता मन्दिर से श्री महादेव के घर तक रास्ते का निर्माण

बिल संख्याः– प्रथम बिल ₹547405/–

माप पुस्तिका संख्याः– 40, पृष्ठ 46 से 51 तक

ठेकेदार का नामः– श्री प्यारचन्द पुत्र श्री पुन्नी राम

(क) इस कार्य हेतु टेण्डर खोलने की तिथि 28.6.2013 थी तथा इस कार्य की धरोहर ₹10000 थी जिस हेतु ठेकेदार द्वारा एस0बी0आई0 सुजानपुर की एफ0डी0आर0 पहले से ही नगर परिषद के पास जमा की गई दर्शाई गई, सम्बन्धित एफ0डी0आर0 की जाँच में पाया गया कि एफ0डी0आर0 की परिपक्वता तिथि दिनाँक 15.5.2013 थी जबकि टैण्डर खोलने की तिथि 28.6.2013 थी। अतः स्पष्ट किया जाए कि किन परिस्थितियों में एक time barred एफ0डी0आर0 को धरोहर राशि के रूप में स्वीकृत किया गया अर्थात बिना धरोहर राशि टैन्डर स्वीकृत किया गया। अतः बिना धरोहर राशि टैन्डर स्वीकृत करना व कार्य आंबटित करना, कार्य आंबटन कि सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगता है तथा किसी प्रकार के उच्च दरो ंपर किये गये आंबटन को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह मामला विशेष ध्यान में लाया जाता है ताकि जाँच उपरान्त किसी प्रकार के उच्च दरों पर किये गये आंबटन को नकारा जा सके तथा सुनिश्चित किया जा सके कि किसी को किसी प्रकार का अनुचित लाभ नहीं दिया गया है।

(6) वाऊचर संख्या 546 माह 2/2014

कार्य का नामः– वार्ड नं0 9 में मुख्य टीहरा रोड से मस्त राम की दुकान तक रास्ते का पुननिर्माण

बिल संख्याः– प्रथम बिल ₹358731/–

माप पुस्तिका संख्याः– 40, पृष्ठ 54 से 59 तक

ठेकेदार का नामः– श्री चन्द्र कृष्ण शर्मा

(क) इस कार्य में मद संख्या 1 में मिट्टी की खुदाई का कार्य (Excavation in foundation and trenches etc. in all kind of soil such as pick jumper work stacking the serviceable material

and soil separately) कुल 136.78 घन मी0 निष्पादित किया गया, परन्तु इस कार्य में से कुछ भी पुनः प्रयोग करने वाला सामान (Service able material) जैसे पत्थर इत्यादि प्राप्त हुआ नहीं दर्शाया गया है जिसका कारण स्पष्ट किया जाये तथा की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाये।

(ख) (1) कार्य की मद संख्या 7 के अन्तर्गत उपर वर्णित मिट्टी को उठा कर 3 किलोमीटर दूर फेंकने हेतु ठेकेदार को ₹400/– प्रति घन मीटर के दर पर ₹54712/– (136.78X400=₹54712) का भुगतान किया गया। ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु कोई lead chart नहीं बनाया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तव में सामान को 3 किलोमीटर की दूरी पर फैंका गया है ठेकेदार को इस मद के अन्तर्गत अनुचित लाभ देते हुए कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अतः lead chart न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा जिसे अब बना कर सक्षम उच्च अधिकारी से सत्यापित करवाकर की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाये अन्यथा जाँच उपरान्त जहाँ मलवा फैंका गया है व दूरी की गणना कर, तदानुसार दर निर्धारित कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) (2) इस कार्य में उक्त वर्णित मिट्टी उठा कर फेंकने के कार्य हेतु ₹400/– प्रति घन मीटर की दर पर भुगतान किया गया जबकि इससे पहले उक्त वर्णित पैरों में क्रमशः ₹320/– व ₹350/– प्रति घन मीटर की दर पर भुगतान किया गया जबकि मिट्टी उठाकर फेंकने की दूरी तीनों कार्यों में सामान थी (तीन किलोमीटर)। अतः इस विभिन्नता का कारण स्पष्ट किया जाये तथा विभागीय न्यायोचितता के साथ किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये।

(ग) इस कार्य में मद संख्या 2 के अन्तर्गत स्टोन सोलिंग 6" कुल 68.35 घन मीटर निष्पादित किया गया दर्शाया गया तथा जिस हेतु ठेकेदार को ₹800/– प्रति घन मीटर की दर से कुल ₹54680/– भुगतान किया गया जबकि माप पुस्तिका की गणना (पृष्ठ 56 व 59) में यह मात्रा 64.23 घन मीटर पाई गई। अतः 4.12 घन मीटर हेतु ₹800/– प्रति घन मीटर की दर पर किये गये अधिक भुगतान ₹3296/– की उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(7) वाऊचर संख्या 397 माह 12/2012

कार्य का नामः– जट्टा मुहल्ला में बोड़ी की मुरम्मत

बिल संख्याः– प्रथम बिल ₹153226/–

माप पुस्तिका संख्याः– 37, पृष्ठ 36 से 42 तक

ठेकेदार का नामः– श्री सुरेश ठाकुर

जाँच में पाया गया कि गणना कि गलती के कारण ठेकेदार को ₹1987/– का निम्नविवरणानुसार अधिक भुगतान कर दिया गया है। अतः अधिक किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करके परिषद खाते में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

मद सं0	**विवरण**	**भुगतान की गई मात्र**	**वास्तविक मात्रा**	**अन्तर**	**दर**	**राशि**
3	सीमेन्ट कंक्रीट 1:3:6	18.34 घन मी0	18.04 घन मी0	.30 घन मी0	₹2632 प्रति घन मी0	₹790
4	बोल्डर फिलिंग	8.17 वर्ग मी0	6.88 वर्ग मी0	1.29 वर्ग मी0	6649	₹858
8	सीमेन्ट प्लास्टर	64.29 वर्ग मी0	61.86 वर्ग मी0	2.43 वर्ग मी0	78.9	₹192
					कुल राशि	**₹1840**
					ठेकेदार का प्रीमियम 8%	**₹147**
					कुल अधिक भुगतान	**₹1987**

(8) वाऊचर संख्या 406 माह 12/2012

कार्य का नामः– वार्ड नं0 3 में महिला मण्डल भवन से श्री कृष्ण चन्द के घर तक रास्ते का पुनर्निर्माण

बिल संख्याः– प्रथम बिल ₹470088/–

माप पुस्तिका संख्याः– 38, पृष्ठ 59 से 62 तक

ठेकेदार का नामः– श्री विनय कुमार गुप्ता

(1) कार्य की मद संख्या के अन्तर्गत 5 "Carrige of material E.G. earth/unserviceable material by machenical means (loading and unloading) more than 5 Kilometer" ठेकेदार को ₹181.05 प्रति घन मीटर+12**%** ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹202.77 दर पर 145.37 घन मीटर मलवा उठा कर फेंकने हेतु ₹29477/– का भुगतान किया गया। ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु कोई lead chart नहीं बनाया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तव में मलवे को 5 किलोमीटर की दूरी पर फैंका गया है। ठेकेदार को इस मद के अन्तर्गत अनुचित लाभ देते हुये कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अतः lead chart न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाये तथा अब बनाकर सक्षम उच्च अधिकारी से सत्यापित करवाकर की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाये अन्यथा जाँच उपरान्त जहाँ मलवा फैंका गया है व दूरी की गणना कर, तदानुसार दर निर्धारित कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) कार्य में ठेकेदार को मद संख्या 4 के अन्तर्गत सीमेन्ट कंकरीट 1:2:4 (एम–20) 71.76 घन मी0 बिछाने हेतु ₹3424/– प्रति घन मी0 (Schedule rate)+12**%** ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹3835/– प्रति घन मी0 की दर पर ₹275231/– का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेख में कोई ऐसा प्रमाण, जैसे प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र जिससे प्रमाणित हो सके कि वास्तव में ठेकेदार द्वारा (एम–20) सीमेन्ट कंक्रीट डाली गई है कुछ भी साथ संलग्न नहीं है, जिसकी अनुपलब्धता में ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः सम्बन्धित प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये अन्यथा इस भुगतान को सामान्य सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 बिछाने हेतु ₹3165/– प्रति घन मीटर (Schedule rate)+12**%** ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹3544.80 घन मीटर की दर पर सीमित किया जाए तथा 71.76 घन मीटर हेतु अधिक किये गये भुगतान ₹20825/– (71.76X290.20) बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। अधिक किये गये भुगतान की वसूली कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(9) वाऊचर संख्या 406 माह 12/2012

कार्य का नामः– वार्ड नं0 3 में श्री त्रिलोक चन्द के घर से श्री शालिग्राम के घर तक रास्ते का पुर्ननिर्माण।

बिल संख्याः– प्रथम बिल ₹136619/–

माप पुस्तिका संख्याः– श्री प्यार चन्द

ठेकेदार का नामः– श्री प्यार चन्द

(1) कार्य की मद संख्या के अन्तर्गत 5 "Carriage of material e.g. earth/unserviceable material by machenical means (loading and unloading) more than 5 Kilometer" ठेकेदार को ₹181.05 प्रति घन मीटर+ (–25**%**) ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹135.78 की दर पर 52.4 घन मीटर मलवा उठा कर फेकने हेतु ₹7115/– का भुगतान किया गया। ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु कोई lead chart नहीं बनाया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तव में सामान को 5 किलोमीटर की दूरी पर फैंका गया। ठेकेदार को इस मद के अन्तर्गत अनुचित लाभ देते हुये कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अतः lead chart न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाये जिसे अब बनाकर व सक्षम उच्च अधिकारी से सत्यापित करवाकर की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाये अन्यथा जाँच उपरान्त जहाँ मलवा फैंका गया है व दूरी की गणना कर, तदानुसार दर निर्धारित कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) कार्य में ठेकेदार को मद संख्या 4 के अन्तर्गत सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 (एम–20) 34.94 घन मीटर बिछाने हेतु 3424 प्रति घन मीटर (Schedule rate)+(25**%**) ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹2568/– प्रति घन मीटर की दर पर ₹89726/– का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेख में कोई ऐसा प्रमाण जैसे प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र जिससे प्रमाणित हो सके कि वास्तव में ठेकेदार द्वारा (एम–20) सीमेन्ट कंक्रीट डाली गई है कुछ भी साथ संलग्न नहीं है, जिसकी अनुपलब्धता में ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित ठहराया जा सकता है। अतः सम्बन्धित प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये अन्यथा इस भुगतान को सामान्य सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 बिछाने हेतु ₹3165 प्रति घन मीटर

(Schedule rate)+(–25**%**) ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹2374/– प्रति घन मीटर की दर पर सीमित किया जाए तथा 34.94 घन मीटर हेतु अधिक किये गये भुगतान ₹6778/– (34.94X194) की वसूली कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(10) वाऊचर संख्या 406 माह 12/2012

कार्य का नामः– वार्ड नं0 5 में श्री सूरू राम के घर से श्री जेशिराम के घर तक रास्ते का पुर्ननिर्माण व interlocking tile को बिछाना

बिल संख्याः– प्रथम बिल ₹679314/–

माप पुस्तिका संख्याः–38, पृष्ठ 68 से 71 तक

ठेकेदार का नामः– श्री जापान सिंह

(1) कार्य की मद संख्या 6 के अन्तर्गत "Carrige of material e.g. earth/unserviceable material by machenical means (loading and unloading) more than 5 kilometer" ठेकेदार को ₹181.05 प्रति घन मीटर+12**%** ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹202.77 की दर पर ₹142.91 घन मीटर मलवा उठाकर फेकने हेतु ₹28978 का भुगतान किया गया। ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित ठहराने हेतु कोई lead chart नहीं बनाया गया जिससे स्पष्ट हो सके कि वास्तव में मलबे को 5 किलोमीटर की दूरी पर फैंका गया है । ठेकेदार को इस मद के अन्तर्गत अनुचित लाभ देते हुये कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया है। अतः lead chart न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाये, तथा बनाकर व सक्षम उच्च अधिकारी से सत्यापित करवाकर की गई कार्यवही को उचित ठहराया जाये अन्यथा जाँच उपरान्त जहाँ मलवा फैंका गया है व दूरी की गणना कर, तदानुसार दर निर्धारित कर उचित कार्यवाही अमल में लाई जाये, की गई कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(2) कार्य में ठेकेदार को मद संख्या 5 के अन्तर्गत सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 (एम–20) 13.75 घन मीटर बिछाने हेतु 3424.5 प्रति घन मीटर (Schedule rate)+12**%** ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹3835 प्रति घन मीटर की दर पर ₹52721/– का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेख में कोई ऐसा प्रमाण जैसे प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र जिससे प्रमाणित हो सके कि वास्तव में ठेकेदार द्वारा (एम–20) सीमेन्ट कंक्रीट डाली गई है कुछ भी साथ संलग्न नहीं है, जिसकी

अनुपलब्धता में ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः सम्बन्धित प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये अन्यथा इस भुगतान को सामान्य सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 बिछाने हेतु ₹3165/– प्रति घन मीटर (Schedule rate)+12**%** ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹3544.80 प्रति घन मीटर की दर पर सीमित किया जाए तथा 13.75 घन मीटर हेतु अधिक किये गये भुगतान ₹3990/– (13.75X290.20) की वसूली कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(11) वाऊचर संख्या 406 माह 12/2012

कार्य का नामः– वार्ड नं0 1 में श्री सुरिन्दर कुमार के घर से कुएँ तक रास्ते का पुर्ननिर्माण

बिल संख्याः– प्रथम बिल ₹82127/–

माप पुस्तिका संख्याः– 38, पृष्ठ 78

ठेकेदार का नामः– श्री दौलत राम

(1) कार्य में ठेकेदार को मद संख्या 4 के अन्तर्गत सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 (एम–20), 15.57 घन मीटर बिछाने हेतु ₹3454.5 प्रति घन मीटर (Schedule rate)+(–20.25**%**) ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹2731/– प्रति घन मीटर की दर पर ₹42521/– का भुगतान किया गया परन्तु अभिलेख में कोई ऐसा प्रमाण, जैसे प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र जिससे प्रमाणित हो सके कि वास्तव में ठेकेदार द्वारा (एम–20) सीमेन्ट कंक्रीट डाली गई है कुछ भी साथ संलग्न नहीं है, जिसकी अनुपलब्धता में ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः सम्बन्धित प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये अन्यथा इस भुगतान को सामान्य सीमेन्ट कंक्रीट 1:2:4 बिछाने हेतु ₹3165/– प्रति घन मीटर (Schedule rate)+(–20.25**%**) ठेकेदार का प्रीमियम कुल ₹2524/– प्रति घन मीटर की दर पर सीमित किया जाए तथा 15.57 घन मीटर हेतु अधिक किये गये भुगतान ₹3223/– (15.57X₹207) की वसूली कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(12) कार्य का नामः— शाँपिंग कम्पलैक्स का बकाया कार्य

माप पुस्तिका संख्याः— 35 पृष्ठ 42 से 54

ठेकेदार का नामः— श्री एल0आर0 ठाकुर

वाऊचर संख्या 397, दिनाँक 12.12.12 ₹120827/— की जाँच करने पर अंकेक्षण में पाया गया कि कार्य श्री एल0आर0 ठाकुर को इसलिए आंबटित करना पड़ा क्योंकि कार्य के पहले ठेकेदार श्री सन्तोष राजा, हिम टैक्नो द्वारा कार्य करने से मना कर दिया, नगर पंचायत द्वारा अपने प्रस्ताव संख्या 30/2011 दिनाँक 26.5.2011 द्वारा इस कार्य को Labour rate पर अन्य ठेकेदार को आंबटित करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार कार्य ठेकेदार को निविदाएं लेकर 60**%** उपर लेबर रैट एच0पी0ए0आर0 2009 के ऊपर आंबटित किया गया।

(1) इस कार्य की मद संख्या 12 व 13 मे डिस्टैंम्परिंग 2 कोट वाशऐबल डिस्टैम्पर के साथ तथा दिवार पर पहले सफेदी करने हेतु 848.20 वर्ग मीटर कार्य का भुगतान किया गया जबकि की गई गणना अनुसार यह मात्रा केवल 838.27 वर्ग मीटर थी। इस प्रकार 10 वर्ग मीटर हेतु दोनों मदो में किये गये गलत भुगतान ₹475.50 (42.80+4.75X10) की वसूली उचित स्त्रोत से करके नगर परिषद खाते में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(2) इस कार्य का प्रथम बिल माप पुस्तिका संख्या 35 के पृष्ठ 28 से 32 तक इन्द्राज कर ₹79752/— भुगतान हेतु पारित किया गया परन्तु वर्तमान बिल में पहले बिल का कोई वर्णन नहीं किया गया है तथा इस बिल को इस प्रकार तैयार किया गया है जैसे यह प्रथम बिल हो, नियमानुसार प्रत्येक चलित बिल में बिल के अन्तर्गत किए गए कार्य की रिकार्ड प्रविष्टि उपरान्त उससे पहले चलित बिलों में भुगतान की गई मात्रा का इन्द्राज लेकर तदानुसार राशि की गणना कर तथा उसमें से पहले भुगतान की गई राशि को घटा कर बिल में देय राशि की गणना की जाती है ताकि किसी भी मद के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अधिक/दोहरे भुगतान को नकारा जा सके। अतः नियमानुसार बिल को तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा किस भी प्रकार के अधिक भुगतान को नकारते हुये तथा पुनः नियमानुसार प्रविष्टि लेकर व बिल तैयार कर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(13) कार्य का नामः—शापिंग कम्पलैक्स सुजानपुर में रेलिंग शट्टर व रेलिंग की आपूर्ति व लगाना।

माप पुस्तिका का संख्याः— 35 पृष्ठ 37 से 41

ठेकेदार का नामः—श्री अनिल कुमार

वाऊचर संख्या 397 दिनाँक 12.12.12 के तहत ₹185256/— का भुगतान संविदाकार को किया गया बिल की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त कार्य हेतु तीन ठेकेदारो द्वारा अपने टैण्डर भरे गए परन्तु यह टैण्डर किसके द्वारा खोले गये, कुछ स्पष्ट नहीं क्या किसी ठेकेदार द्वारा धरोहर राशि ₹7500/— जमा भी करवाई गई थी अथवा नहीं कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अतः बिना धरोहर राशि के टैण्डर खोलने व कार्य आंबटित करने का कारण स्पष्ट किया जाए व की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

(2) इस कार्य की डी0एन0आई0टी0 में वर्णित 5 मदों में से केवल एक मद "Steel work welded in builtup rection trusses fromed in granting fromed quard bress ladders railing brachacts." 2232 किलो हेतु ₹83 प्रति किलो की दर पर कुल ₹185256/— का भुगतान किया गया। अतः स्पष्ट किया जाए कि जब एक मद को ही निष्पादित करवाया जाना था तो डी0एन0आई0टी0 में पाँच मदें लेने का क्या कारण था। जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाए कि यह कार्यवाही ठेकेदार को किसी प्रकार के अनुचित लाभ देने हेतु नहीं की गई। विभागीय न्यायोचितता बनाकर की गई कार्यवाही व भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(14) वाउचर संख्या 406 दिनाँक 19.12.12 ₹470088/—

कार्य का नामः— वार्ड नं0 8 में श्री किशन चन्द के घर से महिला मण्डल तक के रास्ते व नाली का पुर्ननिर्माण

ठेकेदार का नामः— श्री विनय कुमार गुप्ता

माप पुस्तिका संख्याः— 38 पृष्ठ 59 से 62 तक

उक्त कार्य की अनुमानित लागत ₹5 लाख थी तथा धरोहर ₹10000/– थी। कार्य हेतु टैण्डर तभी स्वीकृत किए जा सकते थी जब धरोहर राशि नगद जमा करवा दी गई हो अथवा एफ0डी0 के रूप में जो सचिव नगर परिषद के नाम रैहन हो, साथ संलग्न की गई हो तभी स्वीकृत किए जा सकते थे। नगर पंचायत के "register of tender "work" के पृष्ठ 17 जहाँ केवल नगर परिषद प्रधान के हस्ताक्षर किए गये है, के अनुसार एफ0डी0आर0 के रूप में धरोहर राशि जमा करवाई गई है परन्तु एफ0डी0आर0 का कोई विवरण नहीं दिया गया है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एफ0डी0आर0 नहीं जमा करवाई गई है। अतः स्पष्ट किया जाए कि बिना धरोहर राशि के टैण्डर किस प्रकार स्वीकृत किये गये। विभागीय न्यायोचितता बनाकर ठेकेदार को किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाये तथा किसी भी प्रकार के गलत/अधिक भुगतान को नकारते हुये की गई कार्यवाही को नियमानुसार उचित ठहराया जाये।

(15) कार्य का नामः– वार्ड नं0 7, 8 व 9 से सिल्ट को हटाना

वाउचर संख्या 397 दिनाँक 12.12.12 के तहत ₹283140/– का भुगतान संविदाकार नगर परिषद के वार्ड नं0 7, 8 व 9 में सिल्ट उठाने में किया गया। यह कार्य श्री सुनील कुमार को कार्य आंबटन कार्य संख्या 1-B/NP/2012-1364 दिनाँक 1.10.2012 के द्वारा ₹650/– प्रति घन मीटर की दर पर आंबटित किया गया। इस भुगतान/आंबटन में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(1) इस कार्य को निविदाऐं आमन्त्रित कर निष्पादित करवाया गया कार्य हेतु तीन ठेकेदारों द्वारा अपनी निविदाऐं दी गई जिसमें श्री सुनील कुमार द्वारा न्यूनतम दर ₹825/– प्रति घन मीटर दर दी गई जिसे Negotiotion उपरान्त कम कर ₹650/– प्रति घन मीटर की दर पर कार्य आंबटित किया गया।

ठेकेदार द्वारा किस आधार पर अपनी दरें भरी यह कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि निविदाऐं आमन्त्रण पत्र कार्य का विवरण पूर्ण नहीं दिया गया क्योंकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सिल्ट उठा कर कहाँ फैंकना है, इसी प्रकार नेगोशिएसन में दरें कम करवाकर ₹650/– प्रति घन मीटर की दर पर करवाना व न्यायोचित ठहराना किस आधार पर किया

गया कुछ स्पष्ट नहीं है क्योंकि विभागीय न्यायोचितता बनाई ही नहीं गई है। उपरोक्त अत्यन्त आवश्यक/अनिवार्य अभिलेख की अनुपलब्धता में किसी भी प्रकार की अधिक दरों पर किये गये भुगतान को नकारा नहीं जा सकता है। अतः उच्च्व स्तरीय जाँच उपरान्त विभागीय न्यायोचित बनाकर किए गये भुगतान को उचित ठहराया जाए किसी प्रकार के अधिक भुगतान की अवस्था में उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ति कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(2) इस कार्य का कोई अनुमान पत्र नहीं बनाया गया, परिषद अभियन्ता द्वारा अपनी नोटिंग में यह स्पष्टीकरण दिया गया कि 27.8.212 को भारी बारिश होने के कारण नगर की प्रत्येक गली में रेता बजरी भर गया है तथा वार्ड नं0 8 में श्री भवन लाल के घर के पास यह लगभग 30–40 ट्राली है। उप–मण्डल अधिकारी द्वारा दिनाँक 28.8.12 मौका निरीक्षण उपरान्त इसे उठाने के आदेश दिए है जबकि बिल भुगतान करते समय वार्ड नं0 8 में 144 ट्राली मलवा उठाने का भुगतान किया गया। अतः अनुमान पत्र न बनाने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा कार्य की मात्रा में लगभग 4 गुणा वृद्धि को उचित ठहराया जाए।

(3) कार्य का भुगतान करते समय कार्य की गणना ठेकेदार द्वारा मिट्टी/मलवे के जितने फेरे उठा कर फेंके गये उस आधार पर की गई जिससे वार्ड नं0 8 के 144 फेरे तथा वार्ड नं0 7 में 54 फेरे कुल 198 फेरों हेतु भुगतान किया गया जिसमें प्रत्येक फेरे में 2.2 घन मीटर मलवा दर्शा कर कुल ₹435.60 घन मीटर का ₹650/– प्रति घन मीटर की दर पर कुल ₹283140/– का भुगतान किया गया। स्पष्ट किया जाए कि जब मलवे उठाने का कार्य प्रति फेरे की दर पर करवाया जाना था तो कार्य हेतु निविदाऐं प्रति घन मीटर की दर पर क्यों ली गई, साथ साथ यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह किस प्रकार पाया गया कि ठेकेदार द्वारा प्रत्येक फेरे में 2.2 घन मीटर मीटर ही सिल्ट उठाई गई कम या ज्यादा नहीं। वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(16) वाऊचर संख्या 397 दिनाँक 12.12.12 ₹524584/–

कार्य का नामः– बाला रठियाँ में रास्ते व रिटेनिंग वाल का निर्माण

ठेकेदार का नामः– श्री विनय कुमार

माप पुस्तिका संख्याः– 38 वृष्ठ 52 से 58 तक

यह कार्य ठेकेदार को आंबटन पत्र संख्या NPS/Tnd/Awd/Est 2011-12-205 दिनाँक 3.5.12 द्वारा आंबटित किया गया इस कार्य में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई जिनका निपटारा कर किए गए भुगतान को उचित ठहराया जाए।

(1) इस कार्य हेतु 3 ठेकेदारों द्वारा अपने रेट दिये गये जो निम्न प्रकार से थे

1	श्री विनय कुमार	8%	above H.P.S.R. 2009
2	श्री जापान सिंह	12%	above H.P.S.R. 2009
3	श्री प्यार चन्द	10%	above H.P.S.R. 2009

अभिलेख की जाँच में कहीं यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह टैण्डर कब व किसके समक्ष खोले गये, टैण्डरों के साथ केवल तुलनात्मक विवरणिका संलग्न है जो कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा बनाई गई और परिषद अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है। नगर पंचायत के register of tender "work" पृष्ठ 6 पर जहाँ इन तीन टैण्डर का ईन्द्राज लिया गया है केवल प्रधान नगर पंचायत के हस्ताक्षर है। इसके अतिरिक्त अभिलेख में कोई ऐसा प्रमाण/साक्ष्य उपलब्ध नही ंहै। जिससे यह पता चल सके कि इन ठेकेदारों द्वारा कार्य की धरोहर राशि ₹9800/– जमा भी करवाई गई है। उपरोक्त विवरण कार्य आंबटन की पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। अतः उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। स्पष्ट किया जाए कि बिना धरोहर राशि के टैण्डर किस प्रकार स्वीकृत किए गए व टैण्डर किसके द्वारा खोले गये। किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

(2) यह कार्य श्री विनय कुमार को नेगोशिएसन उपरान्त, उनके द्वारा दी गई दर 8% से 1% कम कर 7% ऊपर एच0पी0एस0आर0 2009 पर आंबटित कर दिया गया परन्तु नेगोसिएशन से सम्बन्धित कोई पत्र/अभिलेख मौजूद नहीं है जिससे पता चल सके के नेगोसिएशन किसके द्वारा व कब की गई। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर की गई कार्यवाही को उचित ठहराया जाए।

(3) क्योंकि नगर पंचायत में कोई विभागीय न्यायायोचितता नहीं बनाई जाती है। अतः अत्यन्त आवश्यक अभिलेख की अनुपलब्धता में किये गये भुगतानों को उचित ठहराया जाए तथा स्पष्ट

किया जाए कि इस अत्यन्त आवश्यक अभिलेख की अनुपलब्धता में नेगोशिएसन उपरान्त दी गई दर को उचित ठहराया गया।

(4) इस कार्य की मद संख्या 2 के अन्तर्गत मिट्टी की खुदाई 59.86 घन मीटर हेतु भुगतान किया गया जबकि यह केवल 57.60 घन मीटर बनती है। अतः 2.26 घन मीटर हेतु ₹128.15+7**%** ठेकेदार का प्रीमियम की दर पर कुल ₹310/– के अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(5) इस कार्य की मद संख्या 5 के अन्तर्गत 40 नं0 वीप होल इन स्टोन मैसनरी के लिए ₹10148/– का भुगतान किया गया। नियमानुसार इन वीप हॉल के क्षेत्रफल (11/4X.(1)X40=.314 घन मीटर) की कटौती रिटेनिंग वाल के सीमेन्ट के क्षेत्र से की जानी अपेक्षित थी परन्तु वह नहीं की गई (बिल की मद संख्या 4) अतः .314 घन मीटर हेतु ₹2087.1 प्रति घन मीटर+7**%** ठेकेदार का प्रीमियम ₹2233.19 प्रति घन मीटर की दर पर कुल ₹701/– का जो अधिक भुगतान किया गया है उसकी उचित स्त्रोत से वसूली कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(6) इस कार्य की मद संख्या 9 "Provinding concrete for plain rainforced concrete in open foundation as per draing and technical specification clasue 802, 803, 1202 & 1203 PCC grade M 20" 1:2:4 की अनुपात में 30.96 एम3 हेतु ₹3424.5 प्रति वर्ग मीटर की दर पर भुगतान किया गया। नियमानुसार एम–20 की सीमेन्ट कंक्रीट हेतु प्रयोगशाला का प्रमाण पत्र साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है ताकि प्रमाणित हो सके कि वास्तव में नियमानुसार कार्य किया गया है, परन्तु वह साथ संलग्न नहीं है जिसकी अनुपलब्धता में किए गए कार्य को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः सम्बन्धित प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में दर्शा कर किये गये भुगतान को उचित ठहराया जाए अन्यथा कार्य की दर को 1:2:4 सीमेन्ट कंक्रीट की सामान्य दर (HPSR-2009building civil work item No. 09310100) ₹3244.70 प्रति घन मीटर की दर पर सीमित कर तथा 30.96 घन मीटर हेतु ₹179.80 प्रति घन मीटर की दर पर अधिक भुगतान ₹5567+7**%** ठेकेदार प्रीमियम ₹390/– कुल ₹5957 की वसूली उचित स्त्रोत से कर अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

(7) इस कार्य हेतु विभागीय स्त्तर पर कोई सीमेन्ट जारी नहीं किया गया ठेकेदार द्वारा अपने स्त्तर पर सीमेन्ट लेकर प्रयोग में लाया गया परन्तु अभिलेख में कोई ऐसा प्रमाण साथ संलग्न

नहीं है जिससे प्रमाणित हो सके कि वास्तव में ठेकेदार द्वारा नियमानुसार कार्य हेतु वाँछित सीमेन्ट प्रयोग में लाया गया है जिसकी अनुपलब्धता में कार्य की गुणवता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अतः उच्च स्तरीय जाँच करवाकर कर यह सुनिश्चित करवाया जाए कि कार्य P.W.D. Specification के अनुसार हुआ है किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति मे ंउचित कार्यवाही अमल में लाई जाए। की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

18 सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर का उचित रख–रखाव न करने बारेः–

अभिलेख की जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा जो सीमेन्ट ठेकेदारों को जारी किया जाता है, उस सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर का उचित रख–रखाव नहीं किया गया था। एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है। यह ज्ञात करना अत्यन्त जटिल है कि किस कार्य के लिए कितनी सीमेन्ट की मात्रा प्रयोग में लाई गई है तथा जारी किये गये सीमेन्ट की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित ठेकेदारों से कर भी ली गई है अथवा नहीं जिसके कारण सीमेन्ट के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि उच्च स्तरीय जाँच उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाये की सभी ठेकेदारो ंसे उन्हें कार्य हेतु जारी सीमेन्ट की प्रतिपूर्ति कर ली गई है तथा कुछ भी शेष नहीं है। भविष्य में नियमानुसार/कार्यवार (work wise) ठेकेदार का खाता (Contractor ledger) तैयार किया जाये तथा कार्य हेतु जारी सीमेन्ट का उसमें इन्द्राज लिया जाये तथा समय समय पर ठेकेदार को किये गये भुगतानों में उनका समायोजन सुनिश्चित किया जाये ताकि अगर ठेकेदार से कोई भी वसूली करनी है तो वह पूर्ण रूप से कि जा सके, कुछ भी वसूली हेतु शेष न रहे, अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 अन्यः–

(1) जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सचिव को प्रदान की गई आवास सुविधा की एवज में प्रतिमाह ₹194/– की दर पर लाईसैन्स फीस के रूप में वसूली की गई है जबकि यह वसूली दिनाँक 20.9.10 से प्रदेश सरकार द्वारा राशि ₹388/– प्रतिमाह कर दी गई है। अतः विभागीय स्तर पर इसकी गणना नियमानुसार करके वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये।

(2) जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा कर्मचारियों के स्थापना व्यय/वेतन से सम्बन्धित अभिलेख E.C.R./Pay Register का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक माह में किये जा रहे वेतन भुगतान का इन्द्राज सभी कर्मचारियों का इकटठा एक पृष्ठ पर लेकर किया जा रहा है। जबकि नियमानुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक अलग पृष्ठ आंबटित कर उसमें कर्मचारी को किए गये प्रत्येक भुगतान का इन्द्राज लेकर भुगतान किया जाना चाहिए था ताकि कर्मचारी को समय–समय पर किये गये प्रत्येक भुगतान का पता चल सके। अतः नियमानुसार अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए व अभिलेख जिसका रख रखाव नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि दोहरे/गलत भुगतान की सम्भावना न रहे।

(3) वाऊचर संख्या 397 माह 12/12 के अन्तर्गत परिषद द्वारा विभिन्न पत्रिकाओं/समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर निम्नलिखित भुगतान किया गया।

समाचार पत्र का नाम	**प्रकाशन की तिथि**	**राशि**
दैनिक जागरण	19.5.12	₹1973
दैनिक जागरण	27.9.12	₹987
दिव्य हिमाचल	27.9.12	₹987
हिन्दुस्तान टाईम	25.8.12	₹12080
दिव्य हिमाचल	25.8.12	₹15205
हिमाचल केसरी (साप्ताहिक पत्रिका)	1.6.12	₹3960
हिमाचल केसरी (साप्ताहिक पत्रिका)	21.3.12	₹3960

जाँच में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा समय समय पर जो विज्ञापन दिए जाते है उनका अलग से कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है ताकि प्रत्येक कार्य पर व विज्ञापन पर किए गये व्यय का पता चल सके। अतः अभिलेख तैयार न करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब अभिलेख/विज्ञापन रजिस्टर तैयार कर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए इसके अतिरिक्त जिन नियमों के अन्तर्गत हिमाचल केसरी पब्लीकेशन (साप्ताहिक) को दिनाँक 1.6.2012 व 31.3.2012 विज्ञापन दिया गया इस बारे अंकेक्षण में

स्थिति स्पष्ट नहीं की गई जबकि नियमानुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विज्ञापन एक प्रदेश सरकार द्वारा सम्पादित पत्र गिरीराज दूसरा प्रदेश के किसी दैनिक पत्र में दिया जाना चाहिए था। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अनियमित तरीके से किये गये व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

21 **निष्कर्षः—** लेखों के उचित अनुरक्षण में सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यक है।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :— फिन (एल0ए0)एच(2)सी(15)(5)(58)/76 खण्ड—2—1180—1181 दिनांक, 10.03.15 शिमला—171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :—

1. निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला—171002,

पंजीकृतः— 2. सचिव, नगर परिषद सुजानपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक मास के भीतर प्रेषित करें।

हस्ता / —
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला—171009.

परिशिष्ट (क) पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/81 से 3/82

1	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/86

1	पैरा–5 (ए)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व प्रस्तुत किये गये अभिलेख अनुसार)
2	पैरा–5 (बी)	अनिर्णीत	

(3) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा–5 (ए)	निर्णीत	(वर्णित पैरा अंकेक्षण दल द्वारा पहले ही निर्णीत किया जा चुका है)
2	पैरा–5 (बी)	निर्णीत	(वर्णित पैरा अंकेक्षण दल द्वारा पहले ही निर्णीत किया जा चुका है)
3	पैरा–5 (सी)	निर्णीत	(वर्णित पैरा अंकेक्षण दल द्वारा पहले ही निर्णीत किया जा चुका है)

(4) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/92

1	पैरा–5 (क)	निर्णीत	(वर्णित पैरा अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/95 से 3/2004 के दौरान निर्णीत किया जा चुका है)

(5) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95

1	पैरा–13 (3)	निर्णीत	(वर्णित पैरा अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/95 से 3/2004 के दौरान निर्णीत किया जा चुका है)
2	पैरा–16 (1)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व पास बुक के अवलोकन उपरान्त)

(6) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/2004

1	पैरा–6 (1)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत	
3	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8	अनिर्णीत	
5	पैरा–10 (i)	निर्णीत	(प्रस्तुत किये गये अभिलेख अनुसार)
6	पैरा–10 (ii)	अनिर्णीत	
7	पैरा–10 (iii)	अनिर्णीत	
8	पैरा–10 (iv)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व प्रस्तुत किये गये अभिलेख अनुसार)
9	पैरा–10 (v)	अनिर्णीत	
10	पैरा–10 (vi) (क से ङ)	अनिर्णीत	
11	पैरा–10 (vii)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
12	पैरा–10 (viii)	अनिर्णीत	
13	पैरा–10 (ix) (क से च)	अनिर्णीत	
14	पैरा–10 (x) (क से ग)	अनिर्णीत	
15	पैरा–10 (xi)	अनिर्णीत	
16	पैरा–10 (xii) (क से घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा–10 (xiii)(क से घ)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
18	पैरा–10 (xiv)	अनिर्णीत	
19	पैरा–10 (xv)	अनिर्णीत	
20	पैरा–10 (xvi)	अनिर्णीत	
21	पैरा–11 (i)	अनिर्णीत	
22	पैरा–11 (ii)	अनिर्णीत	
23	पैरा–11 (iii)	अनिर्णीत	
24	पैरा–11 (iv)	अनिर्णीत	
25	पैरा–11 (vi)	अनिर्णीत	
26	पैरा–11 (vii)	अनिर्णीत	

27	पैरा–11 (viii)	अनिर्णीत	
28	पैरा–11 (ix)	अनिर्णीत	
29	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत	
30	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत	
31	पैरा–12 (3)	अनिर्णीत	
32	पैरा–12 (4) (क)	अनिर्णीत	
33	पैरा–12 (4) (ख)	अनिर्णीत	
34	पैरा–12 (4) (ग)	अनिर्णीत	
35	पैरा–12 (4) (घ)	अनिर्णीत	
36	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत	
37	पैरा–13 (1)	अनिर्णीत	
38	पैरा–13 (2)	अनिर्णीत	
39	पैरा–14	अनिर्णीत	
40	पैरा–15	अनिर्णीत	
41	पैरा–16	अनिर्णीत	
42	पैरा–18	अनिर्णीत	
43	पैरा–19 (1)	अनिर्णीत	
44	पैरा–19 (2)	अनिर्णीत	
45	पैरा–20	निर्णीत	(₹181430/– की प्रतिपूर्ति परिषद निधि में दिनाँक 16.9.2011 को कर दी गई है)

(7) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा–7 (क)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
2	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (ग)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व प्रस्तुत किये गये अभिलेख अनुसार)
4	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–7 (ङ)	अनिर्णीत	

(8) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा–9 (झ)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर अनुसार)
2	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत	
3	पैरा–11 (ख) (1)	अनिर्णीत	
4	पैरा–11 (ख) (2)	अनिर्णीत	
5	पैरा–11 (ख) (3)	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (ख) (4)	अनिर्णीत	
7	पैरा–11 (ख) (5)	अनिर्णीत	
8	पैरा–11 (ग) (3)	अनिर्णीत	
9	पैरा–11 (ग) (4)	अनिर्णीत	
10	पैरा–11 (घ) (2)	अनिर्णीत	
11	पैरा–11 (घ) (3)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11 (ङ)	अनिर्णीत	
13	पैरा–11 (च)	अनिर्णीत	
14	पैरा–11 (झ) (3)	अनिर्णीत	
15	पैरा–11 (झ) (4)	अनिर्णीत	
16	पैरा–11 (ञ)	अनिर्णीत	

(9) अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2010

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–12	अनिर्णीत	
3	पैरा–13	निर्णीत	(किराया ₹6000 जी–8 नं0 20/46 ₹11000 14/53 तथा दण्ड स्वरूप राशि ₹9420 रसीद संख्या 29/35 दिनाँक 1.11.13 के अन्तर्गत वसूले गये)
4	पैरा–14	निर्णीत	(वर्णित राशि की वसूली उपरान्त)
5	पैरा–15	निर्णीत	(वर्णित राशि की वसूली उपरान्त)
6	पैरा–17	अनिर्णीत	

7	पैरा–18	अनिर्णीत	
8	पैरा–19	निर्णीत	(राशि रसीद संख्या 28/35 दिनाँक 3.10.13 द्वारा वसूल की गई)
9	पैरा–23	अनिर्णीत	
10	पैरा–24	अनिर्णीत	
11	पैरा–25	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व सम्बन्धित कर्मचारी से बिजली बिल की राशि ₹383/– रसीद संख्या 95/35 द्वारा जमा करवाए जाने उपरान्त)
12	पैरा–26	निर्णीत	(हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्री से प्राप्त किये गये स्पष्टीकरण अनुसार)
13	पैरा–28	अनिर्णीत	
14	पैरा–28 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा–29	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व दिये गये उत्तर अनुसार)
16	पैरा–31	निर्णीत	(प्रस्तुत अभिलेख व दिये गये उत्तर अनुसार)

(10) अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क जमा करवा दिये जाने उपरान्त)
2	पैरा–5	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
3	पैरा–6	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
4	पैरा–7	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
5	पैरा–8	अनिर्णीत	
6	पैरा–9 (क)	निर्णीत	(रसीद संख्या 32/35 दिनाँक 13.12.13 द्वारा ₹224/– की वसूली उपरान्त)
7	पैरा–9 (ख)	निर्णीत	(रसीद संख्या 33/35 दिनाँक 13.12.13

			द्वारा राशि ₹170 की वसूली उपरान्त)
8	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत	
9	पैरा–10 (ख)	अनिर्णीत	
10	पैरा–10 (ग)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व अधिक भुगतान राशि ₹21 की वसूली रसीद संख्या 48/35 उपरान्त)
11	पैरा–10 (घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा–11	अनिर्णीत	
13	पैरा–12	अनिर्णीत	
14	पैरा–13 (क)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व अधिक भुगतान राशि ₹665 रसीद संख्या 47/35 द्वारा वसूल किये गये)
15	पैरा–13 (ख)	निर्णीत	(दिये गये उत्तर व प्रस्तुत किये गये अभिलेख अनुसार)
16	पैरा–13 (ग)	अनिर्णीत	
17	पैरा–14	अनिर्णीत	
18	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत	
19	पैरा–15 (ख)	निर्णीत	(ठेकेदार से काटे गये आयकर व बिक्रीकर जमा करवाए जाने उपरान्त)
20	पैरा–15 (ग)	अनिर्णीत	
21	पैरा–16	निर्णीत	(सीमेन्ट स्टॉक रजिस्टर के रख–रखाव बारे पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)
22	पैरा–17	निर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के उपरान्त)
23	पैरा–18	निर्णीत	(रद्दी की राशि ₹100 रसीद संख्या 46/35 द्वारा जमा करवाए जाने उपरान्त)
24	पैरा–19	निर्णीत	(पैरे को पुनः प्रारूपित किया गया)